

सं० सं०- 01/भू0अ0नि0 (2) क्षे0स्था0 (प्रभार) नि0व0लि- 13/2023...756... पटना, दिनांक : 12/02/2024

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक 13.10.2023 एवं अधिसूचना संख्या-636 दिनांक 10.01.2024 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत दिनांक 12.02.2024 को आहुत विभागीय स्त्रीनिंग समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन विभिन्न बन्दोबस्त कार्यालयों में पदस्थापित बिहार राजस्व लिपिकीय संवर्ग के निम्नांकित कुल-07 (सात) कर्मियों को प्रधान लिपिक के पद का विहित वेतनमान (वेतन स्तर-06) सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मि का नाम	वरीयता क्रमांक	पदस्थापित कार्यालय का नाम	वर्तमान पद
1	2	3	4	5
1	श्री जियाउर रहमान खाँ	10	बन्दोबस्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर	निम्नवर्गीय लिपिक
2	मो० अरशीयुल हक	14	बन्दोबस्त कार्यालय, दरभंगा	नव प्रभारित उच्चवर्गीय लिपिक
3	श्री धरनीधर कुमार सिंह	15	बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा	नव प्रभारित उच्चवर्गीय लिपिक
4	श्री अमरजीत कुमार	16	बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा	नव प्रभारित उच्चवर्गीय लिपिक
5	श्री कुमार नीरज	19	बन्दोबस्त कार्यालय, पटना	नव प्रभारित उच्चवर्गीय लिपिक
6	श्री संतोष कुमार चौधरी	20	बन्दोबस्त कार्यालय, समस्तीपुर	नव प्रभारित उच्चवर्गीय लिपिक
7	श्री चन्द्रदेव कुमार	21	बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा	नव प्रभारित उच्चवर्गीय लिपिक

2. यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक 13.10.2023 एवं अधिसूचना संख्या-636 दिनांक 10.01.2024 में निहित शर्तों के अध्याधीन है।

3. उपर्युक्त लिपिकों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक प्रधान लिपिक (विहित वेतनमान, वेतन स्तर-06) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपरोक्त उच्चतर पद का विहित वेतनमान सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीण सिविल अपील संख्या-4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम् सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य संबद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त में औपबधिक रूप से प्रदान की जाती है।

5. उपर्युक्त लिपिकों को योगदान करने की तिथि से प्रधान लिपिक के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

6. आदेश निर्गत के पश्चात् भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने की स्थिति में तदनुसार इसे संशोधित अथवा निरस्त किया जा सकेगा।

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक- 01/भू0अ0नि0 (2) क्षे0स्था0 (प्रभार) नि0व0लि- 13/2023...²⁵⁶ पटना, दिनांक :-^{12/02/2024}
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक0), बिहार, पटना/संबंधित सभी कोषागार
पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
ज्ञापांक- 01/भू0अ0नि0 (2) क्षे0स्था0 (प्रभार) नि0व0लि- 13/2023...²⁵⁶ पटना, दिनांक :-^{12/02/2024}
प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त
सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
ज्ञापांक- 01/भू0अ0नि0 (2) क्षे0स्था0 (प्रभार) नि0व0लि- 13/2023...²⁵⁶ पटना, दिनांक :-^{12/02/2024}
प्रतिलिपि :- संबंधित सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं संबंधित सभी कर्मियों को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
ज्ञापांक- 01/भू0अ0नि0 (2) क्षे0स्था0 (प्रभार) नि0व0लि- 13/2023...²⁵⁶ पटना, दिनांक :-^{12/02/2024}
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय बिहार,
पटना, को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण